



**The Salaries and Allowances of the Leader of Opposition in Jharkhand
Legislative Assembly Act, 2001**

Act 2 of 2001

Keyword(s):

Leader of Opposition, Salary, Allowances, Daily Allowance, Medical Facilities

Amendment appended: 9 of 2003

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 78

10 वैशाख, 1923 शकाब्द

राँची, सोमवार, 30 अप्रैल, 2001

विधि (विधान) विभाग ।

- - - -

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2001

संख्या-एल0 जी-07/2001-लेज: 03-झारखण्ड विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 20 अप्रैल, 2001 को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामायण पाण्डेय,

सचिव,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड,

राँची।

[झारखण्ड अधिनियम 02, 2001]

झारखण्ड विधान मंडल में नेता- विरोधी दल, वेतन और भत्ता, का अवधारण हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम, 2001

भारत-गणराज्य बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

(क) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल, (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

(ख) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2- परिभाषाएं -

इस अधिनियम में विधान-मंडल के सदन के सम्बंध में विरोधी दल के नेता से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान-सभा का कोई सदस्य जो तत्समय सदन में सरकार के ऐसे विरोधी दल का नेता हो जिसकी संख्या-दल सबसे अधिक हो और इस रूप में झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

स्पष्टीकरण : जहां विधान-सभा में सरकार के दो या अधिक विरोधी दलों का संख्या-दल समान हो, वहां यथास्थिति, विधान-सभा के अध्यक्ष, दलों की हैसियत को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनार्थ विरोधी दल के नेता के रूप में ऐसे दलों में से किसी एक दल के नेता को मान्यता प्रदान करेंगे और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निर्णायक होगी।

3- विरोधी दल के नेता का वेतन एवं क्षेत्रीय भत्ता-

(क) विरोधी दल के ऐसे नेता को प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) रूपए वेतन दिया जायगा । वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायगा ।

(ख) विरोधी दल के नेता को प्रतिमाह चार हजार रूपए की दर से क्षेत्रीय भत्ता और एक हजार रूपए की दर से आतिथ्य सत्कार भत्ता दिया जाएगा ।

(ग) इस अधिनियम के अधीन वेतन या भत्ता पानेवाला विरोधी दल का नेता, विधान-मंडल के सदन की अपनी सदस्यता के सम्बन्ध में वेतन या भत्ता के रूप में विधान-मंडल द्वारा उपबंधित निधियों में से कोई रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(घ) विरोधी दल के नेता का निवास:

1. विरोधी दल का नेता अपनी पूरी पदावधि तक और उसके तुरन्त बाद एक माह की अवधि तक राँची के बाहर किसी अन्य स्थान में, जहां विधान-सभा की बैठक आयोजित हो, किराया दिए बिना एक सुसज्जित निवास के उपयोग करने का हकदार होगा ।
2. ऐसे निवास के अनुरक्षण के संबंध में विरोधी दल के नेता पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
3. इस धारा के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित करने एवं अनुरक्षण का व्यय समान दण्ड और उस वित्तीय सीमाओं के अधीन होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "आवास" में स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और "आवास" से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत "स्थानीय करों" एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल को आपूर्ति भी सम्मिलित है।

(ड) विरोधी दल के नेता को यात्रा और दैनिक भत्ता: विरोधी दल के नेता का राज्य के अन्दर 350/- (तीन सौ पचास) रूपये एवं राज्य के बाहर भ्रमण के लिए विधान-मंडल, सदस्यों, मंत्रियों के अनुरूप उल्लिखित शर्तों के अधीन 500/- (पाँच सौ) रूपये दैनिक भत्ता देय होगा ।

(च) मोटर कार खरीदने के लिए विरोधी दल के नेता को अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना: राज्य सरकार विरोधी दल के नेता के उपयोग के लिए मोटरकार को खरीद और उपबंध समय-समय पर ऐसी शर्तों पर कर सकेगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें ।

परन्तु, यदि विरोधी दल के नेता के पास राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कोई मोटरकार नहीं हो, तो उसे उसके बदले सवारी भत्ता की ऐसी रकम और मोटरकार को खरीद करने के लिए ऐसी धनराशि ऐसी शर्तों पर दी जाएगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पदीप कर्तव्यों का निर्वहन सुविधा और दक्षतापूर्वक कर सके ।

(छ) विरोधी दल के नेता को सुविधाएं:

विरोधी दल के नेता के लिए उपस्कर, दूरभाष तथा निजी स्टॉफ की सुविधाओं के लिए ऐसे पैमाने पर उपबंध किया जायेगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे ।

(ज) नियम बनाने की शक्ति:

- 1- राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
- 2- इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम , बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के सत्र में हो, जिसमें एक साथ या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हों, रखा जाएगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसके ठीक बाद वाले सत्र में सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाय, तो उसके बाद, यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका प्रभाव ही नहीं होगा, फिर भी ऐसे उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि -मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामायण पाण्डेय,

सचिव,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड राँची।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 380

11 अग्रहायण 1925 शकाब्द
राँची, मंगलवार 2 दिसम्बर, 2003

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

2 दिसम्बर, 2003

संख्या-एल०जी०-11/2003-48 लेज०--झारखण्ड विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 28 नवम्बर, 2003 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड विधान-मंडल,

नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

[झारखण्ड अधिनियम 09, 2003]

झारखण्ड-विधान-मंडल, नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-02, 2001) में संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 54वें (चौवनवें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मण्डल, नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह अधिनियम दिनांक 16 सितम्बर, 2002 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या-02, 2001) की धारा-3(ड.) का संशोधन-(1) झारखण्ड विधान-मंडल, नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम 2001 (झारखण्ड अधिनियम 02, 2001) में प्रयुक्त शब्द 'दैनिक भत्ता' के स्थान पर शब्द 'प्रभारी भत्ता' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति - (1) झारखण्ड विधान-मण्डल, नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (झारखण्ड अध्यादेश, 04, 2003) के द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश प्रसाद सिन्हा,
सरकार के प्रभारी सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।